



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230442
CG-DL-E-16102021-230442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3946]
No. 3946]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021
सं. 38 / 2015–2020

विषय:— सिरिंज की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 4295(अ).विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सिरिंज के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 के अध्याय 90 से संबंधित अधिसूचना संख्या 34 / 2015–20 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

वर्तमान नीति (अधिसूचना संख्या 34 दिनांक 4.10.2021 के अनुसार)

क्रम संख्या	आईटीसी एचएस कोड	मौजूदा विवरण	निर्यात नीति
207एडी	90183100	सूई सहित अथवा सूई रहित सिरिंज	प्रतिबंधित

संशोधित नीति

क्रम संख्या	आईटीसी एचएस कोड	संशोधित विवरण	निर्यात नीति
207एडी	90183100	निम्नलिखित माप की सूई सहित अथवा सूई रहित सिरिज — 0.5 एमएल/1 एमएल एडी सिरिज। — 0.5 एमएल/1 एमएल/2 एमएल/3 एमएल डिस्पोजेबल सिरिज। — 1 एमएल/2 एमएल/3 एमएल आरयूपी सिरिज।	प्रतिबंधित

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

- ऊपर विनिर्दिष्ट एचएस कोड के तहत या किसी अन्य एचएस कोड के तहत आने वाले माप (i) 0.5 एमएल/1 एमएल एडी सिरिज (ii) 0.5 एमएल/1 एमएल/2 एमएल/3 एमएल डिस्पोजेबल सिरिज और (iii) 1 एमएल/2 एमएल/3 एमएल आरयूपी सिरिज के सूई सहित या सूई रहित सिरिज के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।
- ऊपर विनिर्दिष्ट एचएस कोड के तहत या किसी अन्य एचएस कोड के तहत आने वाली अन्य सभी सिरिज मुक्त रूप से निर्यात योग्य हैं। सिरिज के निर्यात के लिए आवेदन जमा करने और अनुमोदन की प्रक्रिया को ट्रेड नोटिस संख्या 20/2021-22 दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 के तहत अधिसूचित किया गया है।

[फा.सं. 01/91/180/005/एमएम22/ईसी/ई-29234]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2021

No. 38/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Syringes.

S.O. 4295(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment to the Notification No.34/2015-2020 dated 4th October, 2021 pertaining to Chapter 90 of Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 related to export of Syringes:

Current Policy (As per Notification No. 34 dated 4.10.2021)

S.No	ITC HS Codes	Existing Description	Export Policy
207AD	90183100	Syringes with or without Needles	Restricted

Revised Policy

S.No	ITC HS Codes	Revised Description	Export Policy
207AD	90183100	Syringes with or without Needles of the following denominations : - 0.5 ml/ 1ml AD syringes. - 0.5 ml/1 ml/2 ml/3 ml disposable syringes. - 1ml/2 ml/3 ml RUP Syringes.	Restricted

2. Effect of this Notification:

- The export of Syringes with or without Needles of denominations (i) 0.5 ml/ 1ml AD syringes (ii) 0.5 ml/1 ml/2 ml/3 ml disposable syringes and (iii) 1ml/2 ml/3 ml RUP Syringes falling under HS code specified above or under any other HS code has been put under Restricted category with immediate effect.
- All other syringes falling under HS code specified above or under any other HS code are freely exportable. The procedure for submission and approval of applications for export of syringes has been notified vide Trade Notice No.20/2021-22 dated 5th October, 2021.

[F.No. 01/91/180/005/AM22/EC /E-29234]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

Ex-Officio Addl. Secy.